



Call details



Surya kant sharma ji ASP Singrauli

Mobile +919826194059

IDEA M.P. 02

Call List

Outgoing call

Wednesday, August 9, 2017, 14:27

0 mins 53 secs

सेवामें

श्री मान थाना प्रभारी बरगवां,
बरगवां, जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश

बिषय :- माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आदेशित जनहित मामला क्र० 8283/15, माननीय मजिस्ट्रेड महोदय देवसर द्वारा पंजीकृत मामला क्र० 621/16 व माननीय अपर जिला न्यायालय देवसर द्वारा जारी नोटिस पुनर्बिचार मामला क्र० 500088/16 को दवाने और माननीय मजिस्ट्रेड महोदय देवसर न्यायालय में बिचाराधीन मामला नीरज गुप्ता V/S अनुराधा प्रसाद मामलों के आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा भद्दी गाली दिए जाने और खुद के 4-5 साथीओं के साथ हांकी और तलवार जैसी औजार से मुझ फरियादी पर हमला किये जाने की कोशिश किया गया। मुझ फरियादी को सुरक्षा प्रदान किये जाने और मामले में त्वरित व उचित कार्यवाही किये जाने बावत

मान्यवर

सविनय नम्र निवेदन हैं कि फरियादी नीरज गुप्ता पिता मुन्नी लाला गुप्ता मेन मार्केट बरगवां का मूल निवासी हैं। और एक पैर से बिकलांग होने के साथ बहुत ही अति गरीब परिवार से तालुकात रखता हैं। यह कि विप्रो कम्पनी द्वारा देश के हर कोनों से लाखों-करोड़ों बेकसूर नौजवानों के साथ नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जाता रहा हैं। जिसके चक्कर में मुझ फरियादी की भी भविष्य खराब हो गई। जिसकी शिकायत मुझ फरियादी द्वारा देश के पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत किया गया। और साथ ही साथ माननीय न्यायालय की शरण लिया गया। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आदेशित जनहित मामला क्र० 8283/15, माननीय मजिस्ट्रेड महोदय देवसर द्वारा पंजीकृत मामला क्र० 621/16 और व माननीय अपर जिला न्यायालय देवसर द्वारा जारी नोटिस पुनर्बिचार मामला क्र० 500088/16 बिचाराधीन हैं। जिसकी रिपोर्टिंग न्यूज-24 और IBC-24 के सिंगरौली संबाददाता देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा किया गया। किन्तु मामले को प्रसारित न कर प्रत्यर्थी अज़ीम प्रेमजी जो की देश के 3 सबसे बड़े उद्योगपति हैं, से लाखों में पैसे ले कर मामले को उजागर नहीं किया गया। जिसकी शिकायत मुझ फरियादी द्वारा पुलिस अधिकारियों से करने के साथ माननीय मजिस्ट्रेड महोदय देवसर में एक परिवाद दर्ज करा दिया। जो माननीय न्यायालय में बिचाराधिन हैं। जैसे-जैसे माननीय न्यायालय की प्रक्रिया पंजीबध्य की ओर बढ़ता जा रहा हैं। आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा मुझ फरियादी को भद्दी गाली और जान से मरने की धमकीया देना आम होता जा रहा हैं। इसी क्रम में दिनांक 07/08/17 से लगातार व्हाटएप के 2 ग्रुप में मुझ फरियादी को भद्दी गाली दिया गया। और दिनांक 09/08/17 को माननीय कलेक्टर और माननीय एस०पी० महोदय को एक अन्य मामले की शिकायत करने सिंगरौली मुख्यालय गया था। जहाँ सबसे पहले मुझ फरियादी द्वारा पहले एस०पी० आफिस जाया गया। किन्तु एस०पी० साहब न मिलाने के कारण मुझ फरियादी द्वारा कलेक्टर आफिस जाकर एक अन्य मामले की शिकायत किया गया। और उसके बाद पुनः एस०पी० आफिस आ कर साहब का इंतजार करने लगा। उसी दरमियान मुझ फरियादी के मोबाईल पर मोबाईल नम्बर 9424367096 से फोन आया और कहा गया कि वो विन्ध्यनगर पुलिस बोले रहा हैं। और आगे कहा गया कि देवेन्द्र पाण्डेय ने शिकायत किया हैं जिस पर एस०पी० साहब ने जाँच का आदेश दिया हैं। और मुझ फरियादी का वयान लेने की बात कर थाना आने को कहा गया। जिस पर मुझ फरियादी द्वारा कहा गया कि मैं एस०पी० आफिस में एक अन्य मामले की शिकायत करने आया हूँ। जिस पर मुझ फरियादी को बोला गया कि तुम वही रहो मैं वही आ रहा हूँ। जिसके तुरंत बाद देवेन्द्र पाण्डेय खुद के 4-5 साथियों के साथ एस०पी० आफिस पहुँच गया। जिस पर मुझ फरियादी को देखा और थोड़ी देर वही रुका रहा और उसके बाद माननीय अतिरिक्त एस०पी० सूर्यकान्त शर्मा साहब से मिलाने चला गया। थोड़ी देर बाद देवेन्द्र पाण्डेय खुद के साथियों के साथ बाहर आया और आफिस से बाहर चला गया। जिसके बाद मुझ फरियादी द्वारा एक अन्य मामले की शिकायत माननीय अतिरिक्त एस०पी० सूर्यकान्त शर्मा साहब से किया गया। और उसके बाद जैसे ही एस०पी० आफिस से बाहर निकल कर रोड पर ऑटो में बैठा और वैढन मार्केट की चलते हुए देखता हूँ कि देवेन्द्र पाण्डेय खुद के गाडी में खुद के 4-5 साथियों के साथ बैठा हैं। और उसके सारे साथी हाथ में हांकी और तलवार जैसे कुछ औजार लिए मेरा इंतजार कर रहे थे। जिसे मुझ फरियादी द्वारा स्पस्ट देखा गया। और खुद की जान बचाने के लिए माननीय न्यायालय परिसर में घुसा गया। जिसके बाद मोबाईल नम्बर 9329031634 से मुझ फरियादी के नंबर 7771822877 पर फोन कर बताया गया कि वो शशिकान्त कुशवाहा बोल रहा हैं। और साथ में उसने ये भी बताया की वो

जनता हैं की मैं वैठन सरकारी हास्पिटल के पास हूँ । और मुझ फरियादी के साथ चाय पिये की जिद्द करने के बहाने मुझ फरियादी का लोकेसन की मांग करने लगा । जिस पर स्थिति को भापते हुए मुझ फरियादी द्वारा कहा गया की मैं गोपाल अवस्थी दैनिक भास्कर के आफिस में मिलूँगा । तब वो जिद्द करने लगा की मैं करेंट लोकेसन बताऊ, जिस पर मुझ फरियादी द्वारा बताने से मना कर दिया गया । जिसके बाद लगातार कई फोन मेरे नंबर पर अलग-अलग नंबरों (9424367096, 9329031634, 7000854291, 7987205829, 9630117736, 7974867422) से फोन कर मुझ फरियादी को डराया और धमकाया जाता रहा गया । जिसके बाद मुझ फरियादी द्वारा माननीय अतिरिक्त एस०पी० सूर्यकान्त शर्मा जी से फोन कर मामले की सारी वारदात से अवगत कराया । जिस पर माननीय अतिरिक्त एस०पी० साहब द्वारा मामले को भाफते हुए खुद के सूझबुझ और त्वरित कार्यवाही किया गया । जिसके वदौलत मुझ फरियादी को उक्त समस्त आरोपियों द्वारा फोन आना बंद हुआ । जिसके बाद मुझ फरियादी द्वारा बस पकड़ कर खुद के घर बरगवां भागकर आया गया । ऐसी धटनाये मुझ फरियादी के साथ आये दिन होता रहा हैं जिसकी शिकायत मुझ फरियादी द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों को किया गया था । किन्तु पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा मामले में उचित कार्यवाही न करने के कारण दिनांक 09/08/17 को आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा खुद के साथियों द्वारा मुझ पर हमला करने की कोशिश किया गया ।

अस्तु श्री.मान जी से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध हैं कि मुझ फरियादी को सुरक्षा प्रदान करने की महान कृपा किया जाकर उक्त मामले में त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कृपा करे ।

संलग्न :-

प्रार्थी / फरियादी

1. आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय और उसके साथी द्वारा मुझ फरियादी को किये गए फोन डिटेलस की छायाकाँपी
2. आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय का फोन मुझ फरियादी द्वारा फोन न उठाने पर देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा व्हाटएप पर और फोन पर मेसेज कर भद्दी गाली दिया गया की छायाकाँपी
3. उक्त मामले को माननीय एस०पी० सूर्यकान्त शर्मा साहब को अवगत करने का फोन डिटेलस की छायाकाँपी
4. एक डी०वी०डी० जिसमे उक्त आरोपियों की रिकॉर्डिंग व माननीय एस०पी० सूर्यकान्त शर्मा साहब की रिकॉर्डिंग की छायाकापी

नीरज गुप्ता पिता मुन्नी लाल गुप्ता
ग्राम व थाना बरगवां जिला सिंगरौली
मध्य प्रदेश
मोबाईल नंबर 7771822877

Amey
11-8-17
आवक शाखा
कलेक्टर जिला-सिंगरौली (म०प्र०)

प्रतिलिपि

1. महामुहीम रास्ट्रपति महोदय भारत
2. प्रधान मंत्री महोदय भारत सरकार
3. गृह मंत्री भारत सरकार
4. मुख्य मंत्री महोदय मध्य प्रदेश सरकार
5. गृह मंत्री मध्य प्रदेश सरकार
6. माननीय डी०जी०पी० महोदय मध्य प्रदेश
7. माननीय आई०जी० महोदय रीवा
8. माननीय कलेक्टर महोदय सिंगरौली
9. माननीय एस०पी० महोदय सिंगरौली
10. माननीय थाना प्रभारी वैठन

सेवामें

श्री मान थाना प्रभारी बरगवां,
बरगवां, जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश

बिषय :- माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आदेशित जनहित मामला क्र० 8283/15, माननीय मजिस्ट्रेड महोदय देवसर द्वारा पंजीकृत मामला क्र० 621/16 व माननीय अपर जिला न्यायालय देवसर द्वारा जारी नोटिस पुनर्बिचार मामला क्र० 500088/16 को दवाने और माननीय मजिस्ट्रेड महोदय देवसर न्यायालय में बिचाराधीन मामला नीरज गुप्ता V/S अनुराधा प्रसाद मामलों के आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा भद्दी गाली दिए जाने और खुद के 4-5 साथियों के साथ हांकी और तलवार जैसी औजार से मुझ फरियादी पर हमला किये जाने की कोशिश किया गया। मुझ फरियादी को सुरक्षा प्रदान किये जाने और मामले में त्वरित व उचित कार्यवाही किये जाने बावत

मान्यवर

सविनय नम्र निवेदन हैं कि फरियादी नीरज गुप्ता पिता मुन्नी लाल गुप्ता मेन मार्केट बरगवां का मूल निवासी हैं। और एक पैर से बिकलांग होने के साथ बहुत ही अति गरीब परिवार से तालुकात रखता हैं। यह कि विप्रो कम्पनी द्वारा देश के हर कोनों से लाखों-करोड़ों बेकसूर नौजवानों के साथ नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जाता रहा हैं। जिसके चक्कर में मुझ फरियादी की भी भविष्य खराब हो गई। जिसकी शिकायत मुझ फरियादी द्वारा देश के पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत किया गया। और साथ ही साथ माननीय न्यायालय की शरण लिया गया। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आदेशित जनहित मामला क्र० 8283/15, माननीय मजिस्ट्रेड महोदय देवसर द्वारा पंजीकृत मामला क्र० 621/16 और व माननीय अपर जिला न्यायालय देवसर द्वारा जारी नोटिस पुनर्बिचार मामला क्र० 500088/16 बिचाराधीन हैं। जिसकी रिपोर्टिंग न्यूज़-24 और IBC-24 के सिंगरौली संबाददाता देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा किया गया। किन्तु मामले को प्रसारित न कर प्रत्यर्थी अज्ञीम प्रेमजी जो की देश के 3 सबसे बड़े उद्योगपति हैं, से लाखों में पैसे ले कर मामले को उजागर नहीं किया गया। जिसकी शिकायत मुझ फरियादी द्वारा पुलिस अधिकारियों से करने के साथ माननीय मजिस्ट्रेड महोदय देवसर में एक परिवाद दर्ज करा दिया। जो माननीय न्यायालय में बिचाराधिन हैं। जैसे-जैसे माननीय न्यायालय की प्रक्रिया पंजीबध्य की ओर बढ़ता जा रहा हैं। आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा मुझ फरियादी को भद्दी गाली और जान से मरने की धमकीया देना आम होता जा रहा हैं। इसी क्रम में दिनांक 07/08/17 से लगातार व्हाटएप के 2 ग्रुप में मुझ फरियादी को भद्दी गाली दिया गया। और दिनांक 09/08/17 को माननीय कलेक्टर और माननीय एस०पी० महोदय को एक अन्य मामले की शिकायत करने सिंगरौली मुख्यालय गया था। जहाँ सबसे पहले मुझ फरियादी द्वारा पहले एस०पी० आफिस जाया गया। किन्तु एस०पी० साहब न मिलाने के कारण मुझ फरियादी द्वारा कलेक्टर आफिस जाकर एक अन्य मामले की शिकायत किया गया। और उसके बाद पुनः एस०पी० आफिस आ कर साहब का इंतजार करने लगा। उसी दरमियान मुझ फरियादी के मोबाईल पर मोबाईल नम्बर 9424367096 से फोन आया और कहा गया कि वो विन्ध्यनगर पुलिस बोले रहा हैं। और आगे कहा गया कि देवेन्द्र पाण्डेय ने शिकायत किया हैं जिस पर एस०पी० साहब ने जाँच का आदेश दिया हैं। और मुझ फरियादी का वयान लेने की बात कर थाना आने को कहा गया। जिस पर मुझ फरियादी द्वारा कहा गया कि मैं एस०पी० आफिस में एक अन्य मामले की शिकायत करने आया हूँ। जिस पर मुझ फरियादी को बोला गया कि तुम वही रहो मैं वही आ रहा हूँ। जिसके तुरंत बाद देवेन्द्र पाण्डेय खुद के 4-5 साथियों के साथ एस०पी० आफिस पहुँच गया। जिस पर मुझ फरियादी को देखा और थोड़ी देर वही रुका रहा और उसके बाद माननीय अतिरिक्त एस०पी० सूर्यकान्त शर्मा साहब से मिलाने चला गया। थोड़ी देर बाद देवेन्द्र पाण्डेय खुद के साथियों के साथ बाहर आया और आफिस से बाहर चला गया। जिसके बाद मुझ फरियादी द्वारा एक अन्य मामले की शिकायत माननीय अतिरिक्त एस०पी० सूर्यकान्त शर्मा साहब से किया गया। और उसके बाद जैसे ही एस०पी० आफिस से बाहर निकल कर रोड पर ऑटो में बैठा और वैढन मार्केट की चलते हुए देखता हूँ कि देवेन्द्र पाण्डेय खुद के गाडी में खुद के 4-5 साथियों के साथ बैठा हैं। और उसके सारे साथी हाथ में हांकी और तलवार जैसे कुछ औजार लिए मेरा इंतजार कर रहे थे। जिसे मुझ फरियादी द्वारा स्पस्ट देखा गया। और खुद की जान बचाने के लिए माननीय न्यायालय परिसर में घुसा गया। जिसके बाद मोबाईल नम्बर 9329031634 से मुझ फरियादी के नंबर 7771822877 पर फोन कर बताया गया कि वो शशिकान्त कुशवाहा बोल रहा हैं। और साथ में उसने ये भी बताया की वो

सिगारौली
R-19